संख्या-847/2017/2267/22-2-2017-17(532)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सैनुद्दीन पुत्र श्री जैनुद्दीन निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32186/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-12.07.2017, दिनांक 05.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सैनुद्दीन पुत्र श्री जैनुद्दीन जो पूरे मोहन छैया, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी मुकदमें के विवाद को लेकर दिनांक 25-04-1990 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर, गले में गमछा कस कर व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-139/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 25.01.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.04.2017 तक 11 वर्ष 02 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 11 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्तों का मुकदमा किशोर बोर्ड में चल रहा है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की उम्र, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सैनुद्दीन (बन्दी संख्या-462/2013) पुत्र श्री जैनुद्दीन निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-847/2017/2267/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in